अध्याय ४

देवनागरी लिपि के साथ हिन्दी भाषा का मानकीकरण

क : देवनागरी लिपि का मानकीकरण

देवनागरी लिपि

भारत एक विशाल और महान् देश है। इस बहुभाषी भारत में अनेक भाषाएँ और लिपियाँ हैं। लिपि, भाषा का मूर्त रूप होती है या यों कहें कि 'भाषा को अंकित करने की व्यवस्थित विधि लिपि कहलाती है।' भारत ही ऐसा महान् देश है, जिसमें प्राचीनकाल से 'लिपि' का प्रयोग मिलता है। प्राचीन लिपियों में कलिंग, कुटिल, खरोष्ठी, ब्राह्मी, शारदा आदि प्रमुख लिपि रही हैं। सिन्धु घाटी लिपि को पढ़ने-समझने के अनेक प्रयास हो चुके हैं। अभी निश्चयात्मक रूप से कुछ कहने में और समय लगेगा। एक समय था जब अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत और बाद में पालि प्रमुख भाषा रहीं। 'ब्राह्मी' प्रमुख लिपि थी। समय के प्रवाह के साथ अनेक भारतीय भाषाएँ विकसित हुईं और उनके साथ ही लिपियाँ। मुख्यतः उत्तर भारत में आर्य भाषाओं के लिए ब्राह्मी के कई रूप विकसित हुए और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाओं के लिए भी अनेक लिपियाँ। ठेठ उत्तर-पश्चिम में कश्मीरी के लिए शारदा और बाद में फारसी लिपि पर आधारित लिपि विकसित हुई। इसी प्रकार की मिलती-जुलती लिपि सिन्धी की ध्वनियों के अनुरूप विकसित हुई। अब 'सिन्धी' इस पुरानी लिपि तथा संशोधित नागरी लिपि में लिखी जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आवश्यकता और अभिव्यक्ति के अनुरूप इनमें अन्तर आया, लिपियों को अपनाया गया और उनमें संशोधन किया गया। कुछ तिरोहित भी हो गईं और कुछ के मानकीकरण की प्रक्रिया चलती रही। अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार पाकर प्रवर्तित हुईं और प्रतिष्ठापित हो गईं। भारत की अधिकांश लिपियाँ 'ब्राह्मी' की ऋणी है अर्थात् उससे विकसित हुई हैं और देश, काल, आवश्यकता के अनुरूप अनेक रूपों में विकसित-अवतरित होती रहीं। उत्तर भारत में नागरी के अतिरिक्त

Scanned with CamScanner

पंजाबी के सन्दर्भ में गुरुमुखी तथा महाजनों की भाषा के सन्दर्भ में कैथी का पर्याप्त प्रचलन रहा है और अब भी है।

यहाँ देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पर लिखने का औचित्य नहीं है। पर इतना स्पष्ट है कि आज देवनागरी लिपि का प्रयोग न केवल 'हिन्दी' लिखने के लिए होता है वरन् संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी प्राचीन तथा मध्यकालीन भाषाओं के साथ 'मराठी' तथा 'नेपाली' के लिए भी किया जाता है। 'गुजराती' कुछ भिन्न नागरी में लिखी जाती है। अन्य आर्य तथा द्रविड़ भाषाओं के लिए अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न लिपियाँ हैं, यह बात दूसरी है कि एक लिपि विस्तार, नागरी लिपि परिषद्, राष्ट्रभाषा परिषद् वर्धा आदि संस्थाओं के प्रयत्न से सहलिपि (विनोबा जी के शब्दों में 'जोड़लिपि') के रूप में सीमित रूप में नागरी का प्रयोग भी किया जाने लगा है।

भारत के संविधान के भाग १७ 'राजभाषा' के अध्याय १—संघ की भाषा के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है :

'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी'

—अनुच्छेद ३४३ (१)

प्रथम पन्द्रह वर्ष तक यह भी प्रावधान था कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीयों अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे।

—अनुच्छेद-३४३ (२)

यह भी प्रावधान था कि संसद पन्द्रह वर्ष की अवधि के बाद भी विधि द्वारा 'अंग्रेजी भाषा' का या 'अंकों के देवनागरी रूप का' प्रयोग बढ़ा सकती है, जिसके अनुसार सन् १९६३ के राजभाषा अधिनियम को पारित किया गया। 'अंकों के देवनागरी रूप' को आगे नहीं बढ़ाया गया जबकि अंग्रेजी के प्रयोग को 'सह राज-भाषा' के रूप में बढ़ा दिया गया। पर 'परिभाषा' में इस बात पर विशेष बल दिया गया है, कि

"हिन्दी" से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी **लिपि देवनागरी** है।

अनुच्छेद ३५१ में **'हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश'** दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप हिन्दी के साथ-साथ 'देवनागरी के विकास' और मानकीकरण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गई है। 'नागरी' और 'हिन्दी' को पर्याय भी मान लिया जाता है। हिन्दी के प्रचार और प्रसार में जुड़ी हुई संस्था का नाम 'नागरी प्रचारिणी सभा' है।

हिन्दी एक भाषा है और 'नागरी' लिखने की एक विधि मात्र है। एक लिपि के द्वारा एक ही नहीं अनेक भाषाओं को अंकित किया जा सकता है। देवनागरी

Scanned with CamScanner

तो कई भाषाओं के लिए प्रयोग में आती रही है। अंग्रेजी जिस लिपि में लिखी जाती है वह 'रोमन' कहलाती है जिसमें विश्व की अनेक भाषाएँ लिखी जाती हैं। भाषा पंजाबी है जिसकी लिपि गुरुमुखी है। लिपि और भाषा का अन्योन्य सम्बन्ध होते हुए भी किसी एक भाषा की लिपि विशेष अनिवार्य नहीं। हाँ, प्रचलित लिपि, जो परम्परा से उस भाषा की ध्वनियों के अनुकूल, लेखन की विधियों के अनुरूप विकसित हुई है, के प्रयोग से सुविधा रहती है। संसार की अनेक भाषाएँ हैं, जिनके लिखने की अभी तक कोई सुविधा नहीं। भारत में लेखन की सुविधा काफी समय से विद्यमान है।

हिन्दी के विकास के साथ नागरी लिपि का विकास भी होता गया। हिन्दी में विकसित तथा आगत शब्दों के कारण आगत नई ध्वनियों के लिए अनेक वर्ण विकसित होते रहे जिनकी व्यवस्था नागरी लिपि में की गई है।

राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी के प्रति आवाज बुलन्द करने वालों में बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में बंगाल के राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति थे। अधिकांश वे ही लोग थे जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कराने का भरसक प्रयास किया। इस दिशा में राजा राम मोहन राय, बंकिमचन्द अग्रणी थे। जस्टिस शारदाचरण मिश्र ने देवनागरी को राष्ट्रलिपि बताया। इन्हीं की प्रेरणा से 'एक लिपि विस्तार परिषद्' की स्थापना हुई और 'देवनागर' पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसी उद्देश्य से नागरी प्रचारिणी सभा की काशी में स्थापना हो चुकी थी। सभा का यह प्रस्ताव कि 'भारत की सभी आर्यभाषाओं की एक लिपि होनी चाहिए' को लोकमान्य तिलक जैसे वरिष्ठ नेता का समर्थन ही नहीं मिला वरन् उन्होंने उसे और अधिक व्यापक बनाने के सम्बन्ध में कहा :

> सर्वसाधारण की लिपि का प्रश्न राष्ट्रीय आन्दोलन का अंग है। वास्तव में सम्पूर्ण भारत की एक सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए। राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्त्व नहीं है। यदि लार्ड कर्जन ने एक सर्वमान्य लिपि का प्रचलन कर दिया होता तो वह आदर के अधिकारी होते। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः प्रान्तीय भावनाओं को छोड़कर हमें स्वयं प्रयत्न करना चाहिए।"

प्रत्येक भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए एक व्यवस्थित वर्ण-माला की आवश्यकता पड़ती है। आज जिसे ध्वनिम (स्वनिम) शास्त्री कहते हैं, वही वर्ण विज्ञान था। वर्णमाला और लिपि में अन्तर हैं। वर्णमाला का सम्बन्ध उच्चारण से होता है जबकि लिपि का लिखावट से। प्रत्येक वर्ण एक या अधिक मिलती-जुलती ध्वनियों को व्यक्त करता है।

देवनागरी लिपि गत एक हजार वर्ष से भारत में प्रचलित है और इसकी

Scanned with CamScanner